फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री अक्षय चौधरी निवासी न्यू गोकुल वाडी, 2 वार्ड नं. 9 शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 22 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 09.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 25.08.2025 एवं 07.11.2025 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करण नगर गली नम्बर 4 शिवगंज में टूटी संरचना एवं नाली–सडक की मरम्मत से सम्बन्धित शिकायत की प्राप्ति दिनांक, डायरी नम्बर एवं उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 09.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 25.08.2025 एवं 07.11.2025 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करण नगर गली नम्बर 4 शिवगंज में टूटी संरचना एवं नाली–सडक की मरम्मत से सम्बन्धित शिकायत की प्राप्ति दिनांक, डायरी नम्बर एवं उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना दिया जाना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	